

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-05/2017/एस-2-226/दस-2017-33(36)/2016

लखनऊ :: दिनांक:: 01 फरवरी,2017

कार्यालय-आदेश

श्री राज्यपाल, चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त 30प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'क' ज्येष्ठ वेतनमान, श्रेणी-एक, वेतनबैंड-3, वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 7600/- में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों को विशेष वेतनमान, वेतनबैंड-4, रू0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रू0 8700/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए, उनके वर्तमान पदों पर ही उनकी पदोन्नति के ग्रेड वेतन रू0 8700/- में उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित पद/स्थान पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| क्र0 सं0 | अधिकारी का नाम/पदनाम/वर्तमान तैनाती का स्थान | पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती का पद/स्थान |
|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री अजय कुमार सोनकर, मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर। | मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर। |
| 2 | श्री सुदर्शन, वरिष्ठ कोषाधिकारी, रामपुर । | वरिष्ठ कोषाधिकारी, रामपुर । |

2- उक्त नवपदोन्नत अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के पद का कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, 30प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दें।

3- इस प्रोन्नति का प्रभाव वर्तमान तैनाती के पदनाम पर नहीं होगा। प्रोन्नत अधिकारियों द्वारा स्वतः परिवर्तित पदनाम के प्रयोग को शासन द्वारा कदाचार के रूप में संज्ञान लिया जायेगा।

शिव गोपाल सिंह
अनु सचिव।

संख्या-05/2017/एस-2-226(1)/दस-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3- जिलाधिकारी, रामपुर/गोरखपुर।
- 4- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 5- अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/मुरादाबाद।
- 6- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर/रामपुर।
- 7- संबंधित अधिकारीगण।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।